:: प्रारुप—11 ::

NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना का नाम :— जनपद पौड़ी गढ़वाल में एन0एच0 बैण्ड से कोठिला—खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0

उपरोक्त विषयक सम्बन्धित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 1542/।।।(2)/09—22(मु0म0घो0)/2009 दिनांक 31.03.2010 द्वारा लम्बाई 10.000 कि0मी0 लागत रू0 350.00 लाख की प्राप्त हुई है। (शासनादेश की छाया प्रति संलग्न है) यह मार्ग एन0एच0 121 के कोठिला ग्राम से आरम्भ हो कर 6.025 कि0मी0 लम्बाई में ग्राम खिटोटिया को जोडेगा। इस मार्ग के निर्माण से 1. सिरोली, 2. कोठिला 3. खिटोटिया, ग्राम लाभान्वित होंगे। उक्त ग्रामों की आबादी कमशः 102, 298, व 459 है। इस प्रकार इस मोटर मार्ग के निर्माण से कुल 859 जनसंख्या लाभान्वित होगी जो कि अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुडी है। इस मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गांव की महिलाये पानी, लकडी, चारा आदि लेने के लिए दूर जाती है, मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर व पाल्यों को अधिक समय दे पायेंगे, जिससे की पाल्यों का लालन पालन तथा पठन पठान ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूर हो जायेगी। गांव मे चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के और नये अवसर मिलगें। ग्रामवासियों द्वारा अपने उत्पादित फल, सब्जी, अनाज आदि को बजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पाएंगे साथ ही गांव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगें।

इस मार्ग के निर्माण हेतु विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त 02 समरेखणों पर विचार किया गया है। नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया समरेखण ग्राम सिरोली, कोठिला व खिटोटिया को जोडेगा। इस समरेखण मे 6.025 कि0मी0 लम्बाई में 07 हेयर पिन बैण्ड हैं। इस समरेखण का अधिकाश भाग नाप भूमि से गुजरता है, जिस हेतु ग्रामवासियों द्वारा सहमति दी गई है। इस समरेखण मे टैरेन कास स्लोब 25^0 से 60^0 तक है तथा तकनीकी दृष्टि से यह समरेखण उपयुक्त पाया गया है। इस मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली भूमियों में आरक्षित वन भूमि शून्य, सिविल वन भूमि 0.945 है0 वन पंचायत भूमि शून्य है0 इस प्रकार कुल वन भूमि 0.945 है0 प्रभावित होती है। जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है एवं नाप भूमि 5.970 है0 प्रयुक्त की जानी है। समरेखण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं पड़ता है।

नक्शे मे बैंगनी रंग से दर्शाया गया समरेखण वैकल्पिक निरस्त समरेखण है। क्योंकि इस समरेखण मे मार्ग का ग्रेड अधिक होने के कारण तकनीकी रूप से उपयुक्त नही है एवं मार्ग की लम्बाई भी अधिक होगी। उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं0 02 को निरस्त कर समरेखण नं0 01 को अनुमोदित किया जाता है।

वनभूमि हस्तानान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

Yogesh Kumar कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 बैजरो (गढ़वाल)	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 बैजरो (गढ़वाल)	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 बैजरो (गढ़वाल)
	उप प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी उप वन प्रभाग पौड़ी	वन क्षेत्राधिकारी दीवा रेंज धुमाकोट उप वन संरक्षक प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी